



कार्यालय: प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बनबसा
चम्पावत (उत्तराखण्ड) 262310

दिनांक: 04/08/2024

आवश्यक सूचना

निदेशक युवा कल्याण के पत्रांक: 1034/ खेलमहाकुम्भ-26/2026-27 दिनांक २१ जुलाई २०२६ के अनुपालन में महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उत्तराखण्ड द्वारा "खेल महाकुम्भ-2026 (मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी)" का आयोजन जनपद, विधानसभा, संसदीय क्षेत्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में किया जा रहा है।

इच्छुक छात्र-छात्राएँ कबड्डी, एथलेटिक्स, खो-खो, वॉलीबॉल, मलखम्ब, रस्साकशी, गोली आदि खेलों में प्रतिभाग करने हेतु अपना नाम महाविद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी/शारीरिक शिक्षा प्रभारी के पास निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराएँ, जिससे समय पर उनका पंजीकरण एवं अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। प्रतियोगिताओं का आयोजन शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

अतः सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाएँ।

क्रीड़ा प्रभारी

क्रीड़ा प्रभारी

राजकीय महाविद्यालय बनबसा

चम्पावत

प्रेषक,

निदेशक,

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक
विषय

1034

/खे.महा.कु.-26/2026-27

दिनांक 21, जुलाई, 2026

खेल महाकुम्भ-2026-मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग के शासनादेश संख्या-I/413447/2026 दिनांक 14 जुलाई 2026 द्वारा "खेल महाकुम्भ-मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी- 2026" हेतु बजट आवंटन के साथ-साथ आयोजन की अनुमति प्रदान की गई है। खेल महाकुम्भ का आयोजन शासनादेश संख्या-I/351883/VI-4/ 2026-61(03)26-E-12059 दिनांक 10 दिसम्बर 2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में खेल महाकुम्भ का आयोजन निम्नानुसार किए जाने का निर्णय लिया गया है -

क्र. सं.	आयोजन स्तर	प्रतियोगिता का नाम	आयुवर्ग	खेल विधाएँ	आयोजन तिथि
01	न्याय पंचायत (न्याय पंचायत के अन्तर्गत के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायत/नगर पंचायत सम्मिलित होंगे)	स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता	अण्डर-14 व 19 बालक- बालिका	1. कबड्डी, 2. एथलेटिक्स (अण्डर-14- 60 मी., 600 मी., लम्बीकूद, ऊँचीकूद, गोला फेंक, अण्डर-19 (100 मी., 200 मी., 400 मी., 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, लम्बीकूद, ऊँचीकूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, 4X100 मीटर रिले) 3. खो-खो 4. मुर्गा झपट।	01 से 10 सितम्बर, 2026
02	विधानसभा क्षेत्र	विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी	अण्डर-14 व 19 बालक- बालिका	चयन के आधार पर (न्याय पंचायत स्तर) 1. कबड्डी, 2. एथलेटिक्स 3. खो-खो 4. मुर्गा झपट (बालक-35, 38, 41, 44, 47 किग्रा से अधिक बालिका- 28, 31, 34, 37, 40 किग्रा से अधिक) सीधे विधानसभा स्तर पर 5. वालीबाल, 6. पिट्टू।	11 से 20 सितम्बर, 2026
03	संसदीय क्षेत्र	सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी	अण्डर-14 व 19 बालक- बालिका	चयन के आधार पर (विधानसभा स्तर) 1. कबड्डी, 2. एथलेटिक्स, 3. खो-खो 4. मुर्गा झपट 5. वालीबाल, 6. पिट्टू सीधे संसदीय क्षेत्र स्तर पर 7. मलखम्ब 8. रस्साकसी (अण्डर-14 बालक-440 किग्रा, बालिका-360 किग्रा अण्डर-19 बालक-560 किग्रा, बालिका-440 किग्रा) 9. गोली	21 से 30 सितम्बर, 2026

			किग्रा, 88 किग्रा, 94 किग्रा, , 110 किग्रा, 110 किग्रा+ बालिका- 48 किग्रा, 53 किग्रा, 58 किग्रा, 63 किग्रा, 69 किग्रा, 77 किग्रा, 86 किग्रा, 86 किग्रा+) 28. बेसबाल 29. लॉन टेनिस	
	महिला ओपन 20 -25		सीधे राज्य स्तर पर 1. कबड्डी, 2. एथलेटिक्स, 3. खो-खो 4. मुर्गा झपट, 5. वालीबाल, 6. पिट्ठू, 7. रस्साकसी (440 किग्रा) 8. फुटबाल, 9. बैडमिंटन (एकल व युगल) 10. जूडो, 11. बाक्सिंग (46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-57, 57-60, 60-63 किग्रा) 12. टेबल टेनिस (एकल-युगल) 13. तार्इक्वांडो (43-46, 46-49, 49-53, 53-57, 57-62, 62-67, 67-73 किग्रा), 14. बास्केटबाल 15. हॉकी, 16. योगासन (आर्टिस्टिक एवं रिदमिक) 17. हैण्डबाल 18. बेसबाल	
	दिव्यांगजन (महिला-पुरुष ओपन)		सीधे राज्य स्तर पर 1. एथलेटिक्स 2. बैडमिंटन 3. तैराकी	

उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि युवा कल्याण एवं प्रारद अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-I/413450/VI-4/2026-61 (03)26-E-103774 दिनांक 14 जुलाई 2026 द्वारा खेल महाकुम्भ-2026 में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की आयु की गणना हेतु शासनादेश संख्या- I/351883/VI-4/2026-61(03)26-E-12059 दिनांक 10 दिसम्बर 2025 में उल्लिखित तिथि दिनांक 31 जुलाई 2025 को संशोधित कर दिनांक 01 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।

अतः उक्त के क्रम में अनुरोध करना है कि शासनादेश संख्या-I/351883/VI-4/2026-61(03)26-E-12059 दिनांक 10 दिसम्बर 2025 में उल्लिखित आयोजन समितियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में "खेल महाकुम्भ-मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी- 2026" का आयोजन न्याय पंचायत, विधानसभा, संसदीय क्षेत्र, राज्य स्तर पर आयोजन किए जाने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(दीप्ति सिंह)
निदेशक।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मंत्री जी युवा कल्याण को इस अनुरोध के साथ कि मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, विशेष प्रमुख सचिव युवा कल्याण उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि विशेष प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

				(कंचा), 10. फुटबाल, 11. बैडमिंटन (एकल व युगल)	
04	राज्य स्तर	मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी	अण्डर-14 व 19 बालक- बालिका	चयन के आधार पर (संसदीय क्षेत्र स्तर) 1. कबड्डी, 2. एथलेटिक्स, 3. खो-खो 4. मुर्गा झपट, 5. वालीबाल, 6. पिट्टू, 7. मलखम्ब 8. रस्साकसी 9. गोली (कंचा), 10. फुटबाल, 11. बैडमिंटन (एकल व युगल) <u>सीधे राज्य स्तर पर</u> 12. जूडो (बालक- 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-66 एवं +66 बालिका - 32-36, 36-40, 40-44, 44-48, 48-52, 52-57 एवं +57 किग्रा), 13. बाक्सिंग (40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52 एवं 52-54 बालिका- (38-40, 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50 एवं 50-52 किग्रा) 14. टेबिल टेनिस (एकल-युगल) 15. ताईक्वांडो (बालक- 33-37, 37-41, 41-45, 45-49, 49-53, 53-57 एवं 57-61 बालिका - 29-33, 33-37, 37-41, 41-44, 44-47, 47-51, 51-55 किग्रा), 16. कराटे (बालक -40, +40 (11 वर्ष), -45, +45 (12 वर्ष), -50, +50 (13 वर्ष), एकल काता, बालिका - -40, +40 (11 वर्ष), -45, +45 (12 वर्ष), -50, +50 (13 वर्ष), एकल काता) 17. बास्केटबाल 18. हॉकी, 19. हैण्डबाल 20. योगासन 21. तैराकी, 22. तीरंदाजी, 23. फैंसिंग, 24. कुश्ती (बालक फ्रीस्टाइल- 38, 41, 44, 48, 52, 57 व 62, ग्रीकोरोमन- 38, 41, 44, 48, 52, 57 व 62 किग्रा बालिका- (फ्रीस्टाइल- 33, 36, 39, 42, 46, 50 व 54 किग्रा) 25. पेन्चाक सिलाट (बालक- 39-43, 43-47, 45-50, 50-55, 55-60, 60-66 एवं +66 बालिका - 39-43, 43-47, 45-50, 50-55, 55-60, 60-66 एवं +66 किग्रा) 26. पावर लिफ्टिंग (बालक-53 किग्रा, 59 किग्रा, 66 किग्रा, 74 किग्रा, 83 किग्रा, 93 किग्रा, , 105 किग्रा, 120 किग्रा बालिका- 43 किग्रा, 47 किग्रा, 52 किग्रा, 57 किग्रा, 63 किग्रा, 69 किग्रा, 76 किग्रा, 84 किग्रा), 27. वेट लिफ्टिंग (बालक- 60 किग्रा, 65 किग्रा, 71 किग्रा, 79	10 सितम्बर से 30 अक्टूबर 2026

				किग्रा, 88 किग्रा, 94 किग्रा, , 110 किग्रा, 110 किग्रा+ बालिका- 48 किग्रा, 53 किग्रा, 58 किग्रा, 63 किग्रा, 69 किग्रा, 77 किग्रा, 86 किग्रा, 86 किग्रा+) 28. बेसबाल 29. लॉन टेनिस	
		महिला ओपन 20 -25		सीधे राज्य स्तर पर 1. कबड्डी, 2. एथलेटिक्स, 3. खो-खो 4. मुर्गा झपट, 5. वालीबाल, 6. पिट्ठू, 7. रस्साकसी (440 किग्रा) 8. फुटबाल, 9. बैडमिंटन (एकल व युगल) 10. जूडो, 11. बाक्सिंग (46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-57, 57-60, 60-63 किग्रा) 12. टेबल टेनिस (एकल-युगल) 13. ताईक्वांडो (43-46, 46-49, 49-53, 53-57, 57-62, 62-67, 67-73 किग्रा), 14. बास्केटबाल 15. हॉकी, 16. योगासन (आर्टिस्टिक एवं रिदमिक) 17. हैण्डबाल 18. बेसबाल	
		दिव्यांगजन (महिला-पुरुष ओपन)		सीधे राज्य स्तर पर 1. एथलेटिक्स 2. बैडमिंटन 3. तैराकी	

उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि युवा कल्याण एवं प्रारद अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-I/413450/VI-4/2026-61 (03)26-E-103774 दिनांक 14 जुलाई 2026 द्वारा खेल महाकुम्भ-2026 में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की आयु की गणना हेतु शासनादेश संख्या- I/351883/VI-4/2026-61(03)26-E-12059 दिनांक 10 दिसम्बर 2025 में उल्लिखित तिथि दिनांक 31 जुलाई 2025 को संशोधित कर दिनांक 01 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।

अतः उक्त के क्रम में अनुरोध करना है कि शासनादेश संख्या-I/351883/VI-4/2026-61(03)26-E-12059 दिनांक 10 दिसम्बर 2025 में उल्लिखित आयोजन समितियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में "खेल महाकुम्भ-मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी- 2026" का आयोजन न्याय पंचायत, विधानसभा, संसदीय क्षेत्र, राज्य स्तर पर आयोजन किए जाने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- शासनादेश संख्या-I/351883/VI-4/2026-61(03)26-E-12059 दिनांक 10 दिसम्बर 2025 (पृष्ठ 01 से 20)

भवदीय,


(दीप्ति सिंह)
निदेशक।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मंत्री जी युवा कल्याण को इस अनुरोध के साथ कि मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, विशेष प्रमुख सचिव युवा कल्याण उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि विशेष प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

4. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास/शहरी विकास/उच्च शिक्षा/स्वास्थ्य/तकनीकी शिक्षा/खेल/माध्यमिक शिक्षा/सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. महानिदेशक पुलिस, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त परिवहन उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. निदेशक, खेल, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. निदेशक, जनजाति कल्याण निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18. समस्त जिला क्रीडाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
19. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त समय-सारिणी के दृष्टिगत खिलाड़ियों के पंजीकरण, प्रचार-प्रसार, प्रत्येक स्तर पर समितियों की बैठक आदि आयोजन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाएँ कराना तथा सम्बन्धित मा0 सांसदगणों एवं मा0 विधायकगणों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क कर उन्हें संज्ञानित करना सुनिश्चित करें।


 (दीप्ति सिंह)
 निदेशक।